मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2011

क्रमांक एफ 3–8/2011/50–2 : राज्य शासन द्वारा जिला श्योपुर, राजगढ़, सीधी, नीमच, झाबुआ, टीकमगढ़, रीवा, भिण्ड, दमोह, इंदौर, सागर, जबलपुर, भोपाल, बैतूल एवं बालाघाट में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना "सबला" तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार होगें :–

(1) किशोरी बालिका को सशक्त बनाना ।

(2) पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना ।

(3) स्वास्थ्य साफ सफाई, प्रजनन एवं यौन शिक्षा, परिवार तथा शिशु रक्षा के संबंध में जागरुकता पैदा करना ।

(4) किशोरी बालिकाओं को परिवार आधारित, जीवन उपयोगी पोषण उन्नयन ।

(5) शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा देना ।

(6) जीविकोपार्जन हेतु रोजगार से संबंधित सलाह ।

योजनांतर्गत उपरोक्त जिलों की 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाएं एवं 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 15 से 25 शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं का किशोरी समूह बनाया जाएगा । तीन माह में एक बार निर्धारित दिवस पर किशोरी दिवस का आयोजन किया जावेगा । उक्त दिवस को समूह की सभी किशोरी बालिकाओं की चिकित्सा अधिकारी/एएनएम द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाकर किशोरी बालिकाओं को आयरन फोलिक एसिड एवं कृमि निवारण की गोलियां आवश्यकतानुसार वितरित की जावेगी । समूह की सभी किशोरी बालिकाओं के लिये किशोरी कार्ड तैयार कराया जावेगा जिसमें उनके स्वास्थ्य/टीकाकरण आदि की जानकारी होगी साथ ही फोलिक एसिड इत्यादि प्राप्ति का विवरण भी होगा । प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक प्रशिक्षण किट रखा जावेगा । जिसके

—2

माध्यम से स्वास्थ्य पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को समझने संबंधी जानकारी दी जाएगी ।

योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को समेकित सेवाओं को पैकेज प्रदान किया जावेगा । यह योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई0सी0डी0एस0) के आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जाएगी । जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्रों में अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं की कमी होगी वहाँ स्कूल/पंचायत के भवनों व अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ।

15 जिलों के कराये गये सर्वे अनुसार योजनांतर्गत दस लाख सात हजार पांच सौ बालिकाओं को पोषण आहार दिया जावेगा ।

पोषण आहार टेकहोम राशन के रूप में एम0पी0एग्रो के माध्यम से वर्तमान में किशोरी बालिकाओं एवं धात्री माताओं को दी जा रही रेसिपी अनुसार प्रदाय किया जावेगा ।

योजनांतर्गत पोषण आहार मद को छोड़कर शेष गतिविधियां 100 प्रतिशत भारत सरकार से सहायित है । तथा पोषण आहार मद में 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जावेगा ।

योजना पर आने वाले वित्तीय व्यय भार राशि रुपये 156.94 करोड़ की सहमति प्रदान की जाती है साथ ही वर्ष 2010–2011 में योजना के संचालन हेतु वित्त विभाग एवं भारत शासन द्वारा प्रावधानित राशि 28.89 करोड़ का व्यय योजना के प्रावधान अनुसार किया जावेगा ।

योजना का क्रियान्वयन/ मूल्यांकन जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सखी सहेली एवं भागीदार गैर सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जावेगा ।

...3..

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाकर अंतर्विभागीय समन्वय से योजना का सुचारु क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन किया जावेगा ।

योजना का क्रियान्वयन विभाग के वर्तमान उपलब्ध अमले के माध्यम से ही कराया जावेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एल.कश्याम)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-8/2011/50-2 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2011

प्रतिलिपि :–निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय
3. शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश ।
4. संचालक महिला एवं बाल विकास, भोपाल ।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश ।
10 विशेष सहायक मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास
9. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग.